संख्या-854/22-2-2014-17(7)/2000

प्रेषक,

पलबिन्दरसिंह,
उपसचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 14 अक्टूबर2015

विषय:- जिला कारागार, मेरठमें निरूद्व सिद्धदोष बन्दी शमशुल कंवरपुत्र श्री उम्मेद हुसैन, निवासी जनपद-बुलंदशहर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-15647/पर-2(एम0 05-06-2014) दिनांक-18-06-2014का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी शमशुल कंवरपुत्र श्री उम्मेद हुसैन, निवासी ग्राम-सांखनी, थाना-जहांगीराबाद, जनपद-बुलंदशहर का निवासी है। शव दफनाने को लेकर हुए विवाद विवाद में बन्दी ने 20 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 01-02-1989 को अपरान्ह लगभग 03:30 बजे रायफल, बन्दूक, कट्टा, बल्लम, फरसा, छूरी आदि से मारकर 11 लोगो की हत्या कर दी एवं पुलिस पर भी फायरिंग की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-245/89 में भा0द0वि0 की धारा-148, 149, 332, 307 व 302 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, षष्टम बुलंदशहर द्वारा दिनांक 10-08-1992 को मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 04-05-1995 द्वारा आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 28-02-2014 तक 24वर्ष 08 माह 20 दिन की अपरिहार तथा 33 वर्ष 02 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी। बन्दीके 11 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, ग्राम सांखनी में इस घटना को लेकर काफी तनाव बना हुआ है,बन्दी रिहा होने पर घटना घटित कर सकता है। बन्दी हत्या का संगीन अपराधी है, रिहा होने पर दुबारा संगीन घटना घटित कर सकता है, बन्दी की पारिवारिक स्थिति सामान्य है आदि के आधार परवरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,बुलंदशहर ने बन्दी की समयपूर्व रिहाई का घोर विरोध किया गया है। बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। बन्दी की उम्र को दृष्टिगत रखते हुए अपराध करने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, वर्तमान में दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त नहीं हुआ है, बन्दी की शारीरिक एवं स्वस्थता की स्थिति अशक्तता की श्रेणी में नहीं आती, बन्दी वर्ष 1998 में एक बार पैरोल पर कारागार

http://shasanadesh.up.nic.in

से रिहा हुआ था, उस अवधि में बन्दी के विरूद्ध मु0अ0सं0-143/98 धारा-307 भा0द0वि0 पंजीकृत हुआ था,आदि के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। सलाहकार समिति द्वारा बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट बुलंदशहर की आख्या के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शमशुल कंवर पुत्र श्री उम्मेद हुसैन को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी शमशुल कंवर (बन्दी संख्या-2042/05) पुत्र श्री उम्मेद हुसैन, निवासी ग्राम-सांखनी, थाना-जहांगीराबाद, जनपद-बुलंदशहर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

(पलबिन्दर सिंह)
उप सचिव।

<u>संख्या-854/(1)/22-2-2014 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार,मेरठ ।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पलबिन्दर सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in